भारत का उच्चतम न्यायालय

क्रमाँक एफ 3/2024-एससीए (आरसी)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त, 2024

वेतनमान - मैट्रिक्स के स्तर 3 (मूल वेतन 21700/- रुपये और नियमों के तहत स्वीकार्य सामान्य भत्ते) वेतनमान में जूनियर कोर्ट अटेंडेंट (पाक कला निपुण) की 80 रिक्तियों को भरने हेतु एक पैनल तैयार करने के लिए 01.08.2024 को आवश्यक योग्यताएँ और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। एचआरए सहित भत्तों की मौजूदा दर के अनुसार सकल वेतन लगभग 46210/- रुपये प्रति माह है।

रिक्तियों की संख्या में बढ़ोत्तरी या कमी हो सकती है।

<u>योग्यता</u>

(क) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड/ संस्थान द्वारा संचालित दसवीं कक्षा|

(ख) मान्यता प्राप्त संस्थान से पाक शाला संबंधी / पाक कला में न्यूनतम एक वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा|

नोट: ऐसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पाक शाला संबंधी/ पाक कला में एक वर्षीय पूर्णकालिक

डिप्लोमा नहीं है, वे भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पाक कला/ पाक शाला संबंधी ट्रेड / योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

अनुभव

किसी प्रतिष्ठित होटल/ रेस्तरां/ सरकारी विभाग/ उपक्रम आदि में खाना पकाने का तीन वर्ष का अनुभव|

आयु विषयक योग्यता

अभ्यर्थियों की आयु 01.08.2024 को 18 वर्ष से कम और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए| अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग /दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक/ विधवा/ तलाकशुदा महिला/ न्यायिक रूप से अलग हुई महिला जो पुनर्विवाहित न हो और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में सामान्य छूट स्वीकार्य होगी। उच्चतम न्यायालय के उन कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी जिन्होंने रजिस्ट्री में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है। अन्य सरकारी विभागों आदि में कार्यरत अभ्यर्थियों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

आरक्षण:

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण जूनियर कोर्ट अटेंडेंट (पाक कला

निपुण) पद के लिए निर्धारित वेतनमान के समकक्ष वेतनमान वाले पदों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं के अनुसार होगा, जो माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर निर्देशित किए जाने वाले संशोधन, परिवर्तन या अपवाद के अधीन होगा। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को आरक्षण भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिया जाएगा।

<u>चयन विधि:</u>

चयन निम्नलिखित विवरण के अनुसार द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पर आधारित लिखित परीक्षा, व्यावहारिक दक्षता परीक्षण और साक्षात्कार के आधार पर होगा।

क्रम संख्या	विवरण	अधिकतम अंक	न्यूनतम अर्हक अंक
1	लिखित परीक्षा (क) बहुविकल्पीय उत्तरों (वस्तुनिष्ठ प्रकार) सहित सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा	30 अंक	

	(ख) पाककला विषय पर लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	70 अंक	प्रत्येक भाग में 60% अंक
2	व्यावहारिक दक्षता परीक्षा (स्वच्छता आदि सहित पाककला के परीक्षण के लिए दक्षता परीक्षा)	70 अंक	
3.	साक्षात्कार	30 अंक	
	कुल	200 अंक	60% अंक

लिखित परीक्षा की अवधि 1½ घंटे (90 मिनट) होगी। कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। लिखित परीक्षा निम्नलिखित 16 राज्यों में 17 परीक्षा केंद्रों पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयोजित की जाएगी-

परीक्षा केंद्रों की संख्या (17)	अहमदाबाद, अंबाला, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद,

	जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और विशाखापत्तनम
राज्यों की संख्या (16)	गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, दिल्ली, केरल, असम, तेलंगाना, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश|

अभ्यर्थियों को किन्हीं तीन परीक्षा केंद्रों का चयन करना होगा, जहाँ वे लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना चाहते हैं। यदि किसी केंद्र विशेष पर पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी पंजीकृत नहीं हैं, तो ऐसे केंद्र का चयन करने वाले अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चयनित दूसरे परीक्षा केंद्र में समायोजित किया जाएगा।

अंतिम चयन सूची अभ्यर्थियों द्वारा वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा, व्यावहारिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। अभ्यर्थी ध्यान दें कि केवल पैनल में स्थान पाने मात्र से अभ्यर्थियों को जूनियर कोर्ट अटेंडेंट (पाक कला निपुण) के पदों के लिए

नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

<u>आवेदन हेतु पंजीकरण और शुल्क का भुगतान</u>

आवेदन हेतु योग्य अभ्यर्थियों को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट अर्थात www.sci.gov.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन केवल ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे जो 23.08.2024 से शुरू होंगे। आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 12.09.2024 को 24.00 बजे तक है। अभ्यर्थियों को 400/- रुपये आवेदन शुल्क देना होगा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/ तलाकशुदा महिला/ न्यायिक रूप से अलग हुई महिला जो पुनर्विवाहित न हो और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 200/- रुपये होगा)।

<u>जूनियर कोर्ट अटेंडेंट (पाक कला निपुण) के पद के कर्तव्य और उत्तरदायित्व</u>

1. नाश्ते/टिफिन/चाय-नाश्ते (High tea) और किसी अन्य अवसर के लिए उत्तम गुणवत्ता वाला भोजन/स्नैक्स (शाकाहारी/मांसाहारी दोनों) तैयार करना और परोसना;

2. उच्च मानक के अनुसार पकवानों/ तैयार भोजन को व्यवस्थित करना, सजाना और प्लेट्स लगाना ;

3. रसोई को स्वच्छ, व्यवस्थित और स्वास्थ्यप्रद बनाए रखना और सामान्य रखरखाव से संबंधित कार्यों को पूर्ण करना ;

4. उपयोग करने से पहले और खाना पकाने के बाद बर्तन/क्रॉकरी/कटलरी को इकठ्ठा करना और साफ करना ;

5. यह सुनिश्चित करना कि सभी खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुएं ठीक तरीके से और स्वच्छता पूर्वक संग्रहित की गई हैं ;

6 स्टॉक इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखना;

7. खाद्य पदार्थों की बर्बादी, खराब होने आदि की जांच करना और उसे रोकना;

8. खाने की मेज और कुर्सियों को साफ़ करने सहित भोजन करने की जगह को साफ करने और स्वच्छ बनाए रखना;

9. कार्यों का निर्वहन करते समय व्यक्तिगत स्वच्छता, अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य और साफ-स्वच्छ कपड़ों का उपयोग करना आदि मानकों का पालन करना |

10. कार्यों का निर्वहन करते समय आग और चोटों से बचने के लिए सुरक्षा सावधानी बरतना,

11. किसी भी प्रकार के व्यंजन तैयार करने के लिए बताये गए किसी भी समय और रविवार/ छुट्टियों पर काम करना, रसोई और सभी संबंधित साफ़- सफाई कर्तव्यों से असहमत न होना, मना न करना या

आपत्ति न करना और समय-समय पर निर्दिष्ट सभी/ किसी भी स्थान /जगह पर काम करना;

12. समय-समय पर सौंपे जाने वाले ऐसे अन्य कार्यों (सामान्य कार्य सहित) का निर्वहन करना।

<u>सामान्य निर्देश-</u>

1. जूनियर कोर्ट अटेंडेंट (पाक कला निपुण) के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उक्त पद के लिए निर्धारित योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश अर्थात लिखित परीक्षा, दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार जिस भी चरण के लिए इस रजिस्ट्री द्वारा उन्हें प्रवेश दिया जाएगा, वह पूर्णतः अनंतिम होगा, जोकि उनके द्वारा निर्धारित योग्यता शर्तों को पूरा करते हुए इसके समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने में उनकी सक्षमता पर निर्भर होगा। अभ्यर्थी की पहचान की जाँच और दस्तावेजों का सत्यापन जब भी आवश्यकता होगी, किया जाएगा। यदि परीक्षा/साक्षात्कार से पहले या बाद में किसी भी समय सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो बिना कोई सूचना दिए या आगे के संदर्भ के परीक्षा के लिए उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

2. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय इस उद्देश्य के लिए दिए गए लिंक पर प्रदर्शित निर्देशों के अनुसार अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी।

3. अभ्यर्थी को इस उद्देश्य के लिए दिए गए लिंक पर प्रदर्शित निर्देशों के अनुसार आवेदन में आवश्यक डेटा भरना होगा और ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए विवरण सभी तरह से सही हैं। एक बार जमा किए जा चुके आवेदन को न तो वापस नहीं लिया जा सकता है न ही संशोधित किया जा सकता है।

4. ऑनलाइन आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक जमा कर देने के बाद, अभ्यर्थी अपने विधिवत जमा किए गए आवेदन का पूर्वावलोकन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रिकॉर्ड के लिए जमा किये हुए आवेदन का प्रिंटआउट /स्क्रीन शॉट प्राप्त कर लें।

5. अभ्यर्थी को अपना आवेदन क्रमांक ध्यानपूर्वक सुरक्षित रखना चाहिए ताकि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर दिए जाने वाले लिंक से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकें तथा निर्धारित परीक्षा/साक्षात्कार के संबंध में दी गई जानकारी को देख सकें |

6. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे जूनियर कोर्ट अटेंडेंट (पाक

कला निपुण) के पद के संबंध में अद्यतन जानकारी के लिए नियमित अंतराल पर भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट (भर्ती लिंक) को देखते रहें ।

7. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन पत्र जमा करता है, तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि अंतिम बार किए गए आवेदन पर ही रजिस्ट्री द्वारा विचार किया जाएगा। पिछले आवेदनों को स्वीकार करने के संबंध में किये गए किसी भी पत्राचार पर रजिस्ट्री द्वारा विचार नहीं किया जाएगा |

8. अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, भले ही अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्रों के लिए शुल्क का भुगतान किया गया हो। आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करने वाले सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा |

9. ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए श्रेणी परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. ऐसे आवेदन जिनमें निर्देशों का पालन नहीं किया गया है**,** उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

11. दिव्यांग अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और यदि

एसएससी/यूपीएससी द्वारा कोई दक्षता परीक्षा आयोजित की जाती हो तो ऐसी दक्षता परीक्षा के दौरान एसएससी/यूपीएससी द्वारा दी जाने वाली रियायतें/ सुविधाएँ दी जाएँगी।

12. परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को कोई टीए/डीए देय नहीं होगा|

13. डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को भारत के उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक से परीक्षा के सभी चरणों के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा।

14. लिखित परीक्षा, दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार की तिथियाँ उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट यानी www.sci.gov.in पर अधिसूचित की जाएँगी। अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पर एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से भी सूचना भेजी जाएगी। इसलिए, अभ्यर्थियों के पास एक वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए और इसे पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखा जाना चाहिए।

15. जूनियर कोर्ट अटेंडेंट (पाक कला निपुण) के पद के लिए निर्धारित योग्यता के समान/ उच्च योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मांगे जाने पर संबंधित

अधिकारियों से प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि उनके पास निर्धारित योग्यता के समान/ उच्च योग्यता है।

16. राज्य/केंद्र सरकार के विभागों/बैंकों/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में काम करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

17. रजिस्ट्री सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त किसी भी तरीके से अभ्यर्थियों को लघुसूचीकृत (शॉर्टलिस्ट) करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। रजिस्ट्री अपनी आवश्यकता के अनुरूप किसी भी समय चयन की विधि को संशोधित, परिवर्तित या बदलने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है।

18. किसी भी विवाद की स्थिति में विधिक क्षेत्राधिकार दिल्ली होगा।

रजिस्ट्रार (मानव संसाधन)